न्यायालय संभागीय आयुक्त, भरतपुर
(पीठासीन अधिकारीः— सांवर मल वर्मा आई0ए0एस0)
अपील संख्याः— 95/22 (18 आयुध अधिनियम 1959) (RCMS No.2022/99)

समन्दर पुत्र श्री हरचन्द जाति गूजर निवासी झज्झरपुरा थाना मासलपुर जिला करौली।

.....अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, करौली।

.....रैस्पोडैन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट करौली दिनांक 14.07.2022

उपस्थितिः—
1. श्री मोहन सिंह राना वकील अपीलान्ट।
2. सहायक लोक अभियोजक।

निर्णय

दिनांकः 27.02.2023

उक्त अपील आयुध अधिनियम 1959 की धारा 18 के अन्तर्गत कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सवाईमाधोपुर के निर्णय दिनांक 14.7.2022 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि थानाधिकारी पुलिस थाना मासलपुर द्वारा उनके पत्र कमांक 3823 दिनांक 19.8.2015 के द्वारा श्री किब्बो पुत्र समन्दर, सैलू पुत्र सीया, जगदीश पुत्र रामकरण व पप्पू पुत्र समन्दर जाति गुर्जर निवासी झज्झरपुरा पुलिस थाना मासलपुर जिला करौली के विरूद्ध एफ आई आर संख्या 148/15 दिनांक 27.7.2015 को धारा 307, 447, आईपीसी में पुलिस थाना मासलपुर में दर्ज होने के कारण अपीलान्ट के शस्त्र अनुज्ञापत्र के दुरूपयोग करने की संभावना व्यक्त करते हुये अनुज्ञापत्र को निरस्त करने का निवेदन किया गया। जिसके आधार पर बाद कार्यवाही तहत अदालत द्वारा आदेश दिनांक 28.8.2015 से अपीलान्ट क अनुज्ञापत्र को पूर्व में निलम्बित किया गया था। इस आदेश के विरूद्ध अपीलान्ट की ओर से न्यायालय हाजा (संभागीय आयुक्त भरतपुर) में अपील 100/15 पेश की गई। जिसमें दिनांक 8.2.2017 को निर्णय पारित करते हुये संभागीय आयुक्त भरतपुर ने निर्देश दिये थे कि अपीलान्ट को समुचित सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तत करने का समुचित अवसर देते हुये गुणावगुण के आधार पर तार्किक एवं न्यायसंगत निर्णय पारित करें। जिसकी पालना में तहत अदालत जिला मजिस्ट्रेट करौली द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.2.2022 पारित करते हुये अपीलान्ट का अनुज्ञापत्र संख्या 199/डीएम/केएलआई/2004 निरस्त किया गया है। इस आदेश के विरूद्ध यह अपील पेश की गई है। अपील पेश होने पर दर्ज

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

रजिस्टर की गई। रैस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहत पत्रावली तलब की गई। रैस्पों की ओर से सहायक लोक अभियोजक उपस्थित हुए। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने मीमो आफ अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये तर्क दिया कि तहत अदालत का आदेश दिनांक 14.07.2022 विधिविरूद्ध व तथ्यों के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। क्योंकि अपीलाधीन निर्णय पारित करते समय पुलिस अधीक्षक करोली के पत्रांक ल–1( )श0अ0 बहाली/डीएसवी/2022/5303 दिनांक 29.10.2021 की ओर कतई ध्यान नहीं दिया गया है। जिसमें पुलिस अधीक्षक द्वारा अपीलान्ट के अनुज्ञापत्र को बहाल किये जाने की अनापत्ति रिपोर्ट प्रेषित की गई है फिर भी अपीलान्ट के लाईसेंस को निरस्त करने में तहत अदालत द्वारा अहम कानूनी गलती की गई है। तहत न्ययालय द्वारा अपने निर्णय में यह माना है कि अपीलान्ट के पुत्रों पर राईफल से हमला किये जाने का आरोप एफ आई आर नम्बर 148/2015 में लगाये जाने के कारण अपीलान्ट के शस्त्र का दुरूपयोग किया गया माना है। यदि एफ आई आर नं0 148/2015 में राईफल से हमला होना बताया गया है यदि उक्त लाईसेंस में शस्त्र का उपयोग होता तो पुलिस द्वारा अपीलान्ट के अनुज्ञापत्र में दर्ज शस्त्र को जब्त किया जाता। अपीलान्ट के शस्त्र को किसी भी प्रकरण में कभी भी जब्त नहीं किया गया है और ना ही शस्त्र का कभी दुरूपयोग किया गया है। उक्त समस्त तथ्यों को नजरअंदाज करते हुये अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है जो काबिल खारिजी के है। अपीलान्ट के विरूद्ध कोई दाण्डिक कार्यवाही किसी भी न्यायालय में विचाराधीन नहीं रही है ना ही किसी प्रकरण में अपीलान्ट दोषसिद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करते समय अपने विवेक का कतई उपयोग नहीं किया गया है और ना ही कारण बताया गया है। तहत अदालत ने निलम्बन की अवधि भी स्पष्ट नहीं की थी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ऐसा कोई सारभूत कारण अपने निर्णय में अंकित नहीं किया गया है जिससे सावित होता हो कि लाईसेंस के बने रहने से लोक शांति तथा सुरक्षा पर विपरीत प्रभाव पडने की संभावना हो इसलिऐ अपीलधीन निर्णय अधिकारिता से परे एवं कानूनी मंशा के विपरीत होने से काबिले खारिजी के है। अन्त में वकील अपीलान्ट द्वारा निवेदन किया गया कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर तहत अदालत कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट करौली का अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.07.2022 निरस्त किया जाकर अपीलान्ट के अनुज्ञापत्र संख्या 199/डीएम/केएलआई/2004 को बहाल किये जाने के आदेश फरमाये जावे।

वकील अपीलान्ट द्वारा की गई बहस का प्रतिउत्तर देते हुए सहायक लोक अभियोजक ने तर्क दिया कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.07.22 विधिवत कानूनी प्रकिया अपनाई जाकर ही पारित किया गया है जिसमें कतई किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रहती है। अपीलान्ट के द्वारा उक्त अपील अदालत हाजा में दूसरी बार पेश की गई है। अदालत हाजा के पूर्व रिमाण्ड आदेश दिनांक

27.2.23
संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

8.2.2017 की अक्षरशः पालना करते हुये जिला मजिस्ट्रेट करौली द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। तत्समय अपीलान्ट के पुत्रों के खिलाफ एफ आई दर्ज होने एवं मुताबिक एफ आई आर अनुज्ञापत्र में दर्ज राईफल से हमला किये जाने एवं अपीलान्ट के नाम दर्ज लाईसेंस में अंकित राईफल के दुरूपयोग किये जाने की संभावना के मध्यनजर थानाधिकारी मासलपुर ने रिपोर्ट पेश की थी जिस पर बाद सुनवाई अपीलान्ट के व उसके पुत्रों की आपराधिक छवि को देखते हुये आर्म्स लाईसेंस निरस्त किया गया था। पुलिस अधीक्षक करौली की रिपोर्ट दिनांक 29.10.2021 से भी स्पष्ट है कि अपीलान्ट समन्दर सिंह के विरूद्ध मु0नं0 148/15 दिनांक 27.7.2015 धारा 341, 447 आई पी सी में थाना मासलपुर पर पंजीबद्ध हुआ इसके अलावा जिला पुलिस अधीक्षक करोली ने पत्र दिनांक 26.2.2022 से अवगत करवाया है कि अपीलान्ट समन्दर सिंह द्वारा अपना शस्त्र आज दिनांक तक पुलिस थाना मासलपुर में जमा नहीं कराया गया है जो आयुध आधिनियम के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लघन है जो एक अनुज्ञापन अधिकारी के आदेशों की अवहेलना में आता है जबकि जिला कलक्टर एवं जिला पुलिस अधीक्षक जिले में कानून एवं शान्ति व्यवस्था कायम रखने के लिये उत्तरदायी अधिकारी है। अपीलान्ट के व अपीलान्ट के पुत्रों के इस गैर जिम्मेदाराना रवैया और जिले में शान्ति व्यवस्था कायम रखे जाने के मध्नजर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो न्यायसंगत है। अपीलान्ट के आपराधिक चरित्र एवं शस्त्र के दुरूपयोग होने की संभावना को देखते हुये कानून व्यवस्था एवं लोक शान्ति बनाये रखने हेतु लोकहित में जिला मजिस्ट्रेट करौली द्वारा आर्म्स एक्ट की धारा 17(3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये अपीलान्ट का आर्म्स लाईसेंस निरस्त किया गया है जो वर्तमान परिस्थितियों के मध्यनजर विधिसंगत एवं जायज है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 14.07.22 यथावत रखा जावे।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक व सहायक लोक अभियोजक की बहस सुनी गई व मनन किया गया। तथा अपीलाधीन निर्णय संबंधी मूल पत्रावली का अवलोकन किया गया। उक्त प्रकरण में जिला मजिस्ट्रेट करौली द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.08.2015 के विरूद्ध अदालत हाजा में अपील संख्या 100/15 अपीलान्ट की ओर से पेश किये जाने पर अदालत हाजा की ओर से पारित निर्णय दिनांक 09.02.2017 के द्वारा अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर जिला मजिस्ट्रेट करौली का आदेश दिनांक 28.08.2015 निरस्त कर प्रकरण इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया गया था कि अपीलान्ट को सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर देते हुए गुणावगुण के आधार पर तार्किक व न्यायसंगत निर्णय पारित करें। उक्त निर्णय की पालना में जिला मजिस्ट्रेट करौली द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अपीलान्ट को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये जिसके प्रतिउत्तर में अपीलान्ट की ओर से अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश करौली द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.08.2019 की प्रति प्रस्तुत की। जिसमें अपीलान्ट को धारा 3/27 आयुध

27.2.2023
संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

अधिनियम से दोषमुक्त किया गया। जिला मजिस्ट्रेट करौली की ओर से अपीलान्ट के अनुज्ञापत्र का नवीनीकरण किये जाने/नहीं किये जाने के संबंध में पुलिस अधीक्षक करौली से भी रिपोर्ट प्राप्त की गई जिसमें पुलिस अधीक्षक करौली ने अपने पत्र कमांक 2303 दिनांक 29.10.2021 के द्वारा इस आशय की रिपोर्ट प्रेषित की गई कि अपीलान्ट के विरूद्ध दर्ज प्रकरण संख्या 148/15 में दिनांक 05.08.2019 के द्वारा जिला एवं सत्र न्यायाधीश करौली द्वारा दोषमुक्त किया गया हैं। थानाधिकारी मासलपुर एवं वृत्ताधिकारी करौली द्वारा शस्त्र अनुज्ञापत्र को पुनः वहाल किये जाने हेतु अनापत्ति प्रेषित की है। अतः आवेदक के अनुज्ञापत्र को वहाल किये जाने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। विद्वान जिला मजिस्ट्रेट करौली द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 14.7.2022 में अपीलान्ट के अनुज्ञापत्र को इस आधार पर निरस्त किये जाने का निर्णय पारित किया है कि अपीलान्ट को उसके पक्ष में जारी शस्त्र को आदेश दिनांक 28.08.2015 द्वारा थाना मासलपुर में जमा करवाये जाने का आदेश दिये जाने के बाबजूद भी जमा नहीं कराया गया है जो आयुध अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन है। इस आधार पर अपीलान्ट के अनुज्ञापत्र को निरस्त किया गया है जो कि उचित नहीं है। क्योंकि विद्वान जिला मजिस्ट्रेट करौली ने न तो पुलिस अधीक्षक करौली से प्राप्त रिपोर्ट से असहमत होने के कारण का अपीलाधीन निर्णय में उल्लेख किया और न ही अपीलान्ट को सक्षम न्यायालय द्वारा दोषमुक्त किये जाने के बाबजूद अनुज्ञापत्र का नवीनीकरण नहीं किये जा सकने के आधार का ही निर्णय में उल्लेख किया। विद्वान जिला मजिस्ट्रेट करौली के निर्णय दिनांक 28.08.2015 को जब अदालत हाजा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09.02.2017 के द्वारा निरस्त कर दिया गया है तो आदेश दिनांक 28.08.2015 की पालना नहीं किये जाने के आधार पर अनुज्ञापत्र का निरस्त किया जाना न्यायोचित नहीं है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 14.07.2022 निरस्त किया जाकर प्रकरण जिला मजिस्ट्रेट करौली को इन निर्देशों के साथ पुनः प्रेषित किया जाता है कि अपीलान्ट के विरूद्ध दर्ज हुए प्रकरण में सक्षम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.08.2019, जिला पुलिस अधीक्षक से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 29.10.2021 में वर्णित तथ्यों पर विचार कर न्यायिक मस्तिष्क का उपयोग करते हुए आयुध अधिनियम के प्रावधानों के तहत पुनः नये सिरे से स्पीकिंग व स्पष्ट आदेश पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 27.2.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

27.2.2023

(सांवर मल वर्मा)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर